[redacted]

फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

विषय: सं0 3/1/2011/पोलिसी (फूड) /2011/RU-IV

Dated 29-11-2011

सेवा में,

सचिव,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
कृषि भवन,
नई दिल्ली

विषय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, 2011 प्रारूप पर सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ दिनांक 28-11-2011 को आयोग में हुई चर्चा के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 28-11-2011 को सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ आयोग में हुई बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको संलग्न करने का निदेश हुआ है।

6796
30/11/11

भवदीय,

के0डी0 बन्सौर

(के0डी0 बन्सौर)

उप निदेशक

प्रति :-
(i) अध्यक्ष के नीति सहायक
(ii) एस.एस.ए. (एन.आई.सी.)

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

[redacted]

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 3/1/2011/पोलिसी (फूड) /2011/RU-IV

विषय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, 2011 प्रारूप पर सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,उपभोक्ता मामले एवं खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ आयोग में दिनांक 28-11-2011 को हुई चर्चा/बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-

1.	डा0 रामेश्वर उराँव	अध्यक्ष
2.	श्री आदित्य मिश्रा	संयुक्त सचिव
3.	श्री हरिराम मीणा	वरिष्ठ अन्वेषक

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग:-

1.	डा0 बी0सी0 गुप्ता	सचिव
2.	श्री सी0 विश्वनाथ	संयुक्त सचिव

विषय/मद: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारूपित खाद्य सुरक्षा बिल, 2011 पर आयोग के विचार/टिप्पणी के संबंध में।

चर्चा:-

प्रकरण में सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 28-11-2011 को आयोग में उपस्थित हुए। चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, 2011 के प्रारूप पर आयोग द्वारा अपने विचार/टिप्पण पत्र दिनांक 22-11-2011 द्वारा सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजी जा चुके है किन्तु अभी तक अंतिम रूप से तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, 2011 प्रारूप आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है।

Rameshwar Oraon

डा0 रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

[redacted]

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ***उपरोक्त*** मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, 2011 प्रारूप आयोग को, कैबिनेट में रखने से पहले, शीघ्र भेजा जाए ताकि आयोग द्वारा उस पर विचार-विमर्श किया जा सके।

सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने आश्वस्त किया कि अंतिम रूप से तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, 2011 प्रारूप आयोग को दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 को पूर्वाह्न 10.00 बजे तक अवश्य भिजवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जैसे ही अंतिम रूप से तैयार उक्त बिल प्राप्त हो जाएगा आयोग उस पर **अपने विचार/टिप्पण** 1 दिसम्बर, 2011 को ***उपरोक्त*** मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को अग्रसारित करेगा।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi